

**Directorate Elementary Education**  
**मौलिक शिक्षा निदेशालय**E-mail: [eduprimaryhry@gmail.com](mailto:eduprimaryhry@gmail.com) Site: [www.harprathmik.gov.in](http://www.harprathmik.gov.in)आदेश क्रमांक - 13/11-2012 PS (E-1)दिनांक, पंचकूला - 08-01-2020

हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम-2003 के नियम 33 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए Urmila Vidya Niketan Public School, Parvatiya Colony, Faridabad को कक्षा 1 से 8 तक CBSE से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त सहित दी जाती है कि यह सम्बद्धता विद्यालय का स्तर बढ़ाने के लिए मान्य नहीं होगी। विद्यालय का स्तर बढ़ाने हेतु मान्यता के लिए अलग से आवेदन किया जायेगा। जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद के विद्यालय स्थाई मान्यता पत्र क्रमांक जी-1(98)-1722-1725, दिनांक 01-08-1998 तथा जिला शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद के स्थाई मान्यता पत्र क्रमांक CCC/1999/2623-2625, दिनांक 09-09-1999 में निहित शर्तों तथा समय-समय पर की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों का पालन करता रहेगा। मान्यता वापिस लिए जाने की अवस्था में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र भी वापिस लिया समझा जायेगा।

**DR. VANDANA DISODIA**  
**ADDITIONAL DIRECTOR ADMN.**  
**O/o DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION**  
**HARYANA, PANCHKULA**

पृष्ठांकन-क्रमांक-सम

दिनांक, पंचकूला - 08-01-2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रबन्धक समीति, Urmila Education Society, Faridabad.
2. सचिव, CBSE Shiksha Kendra, 2 Community Centre, Preet Vihar, Delhi-110092.
3. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, Bhiwani.
4. जिला शिक्षा अधिकारी, Faridabad.
5. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, Faridabad.
6. मुख्याध्यापक, Urmila Vidya Niketan Public School, Parvatiya Colony, Faridabad.
7. टैक्नोलॉजी ऑफिसर (लोकल)।

  
**SUPERINTENDENT PS (E)**  
**FOR DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION**  
**HARYANA, PANCHKULA**